SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROGEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.) Name, parentage, caste and address of accused The offence, complainant of, and date of, its alleged commission पर आरोप ै िक दिनांक 5.3.7 मुकास पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में क्रिटर/पाव/ब्रोतल रहेनी शराब विक्रथ, परिवहन हेतु रखी। ऐशा करके आपने आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया। क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो। The plea of the accused and his examination (if any) गाइद, जिला-भिष्ड (म.प्र.) अपराध स्वीकार है! न्यून दण्ड से दण्डित कर का निवंदन है। त्रस्ट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला-मिण्ड (म.प्र.)

//निर्णय//

(आज दिनांक 23.8) को घोषित)

अभियुक्त के विरूद्ध आबकारी अधि० 1915 की घारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय हो। से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वे छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।

संक्षिप्त विचारण किया गया। उना अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34 1 (b) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अगिलेख ।र कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।

अभियुक्तं को आबकारी अधि० 19 5 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अवंधे तक की सजा एवं रूपये शब्दों में क्रियें हुए समाजित्य रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ट न पटाये जाने पर का साधारण

कारावारा के सजा भुगतायी जावे।

शूरिर/पाव/बोर्ल चिकी

जप्तशुदा सम्पित् 🕠

मूल्यहीन एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक तेने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार कि जाते। अपीत : मा में मानव अपील न्यायालय के आदेश का

Cy 22/08/17 न्यायिक मिलिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

.चंकजे शमो न्यायिक मजिएट्रेंट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला-मिण्ड (म.प्र.)